दिल्ली विकास प्राधिकरण

पीएम-उदय में आवेदन जमा करने और कन्वेयन्स डीड/ऑथॉरिज़ेशन स्लिप प्राप्त करने की प्रक्रिया

चरण 1: पंजीकरण	• पीएम-उदय पोर्टल: https://delhi.ncog.gov.in/login पर लॉग-इन करें या दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर जाएं और पीएम-उदय बटन पर क्लिक करें। • पंजीकरण फार्म भरने के लिए 'Registration' बटन पर क्लिक करें। • आवेदक का विवरण, सम्पत्ति विवरण, ई-मेल आई.डी भरें और मोबाइल नंबर लिखें और 'Submit' पर क्लिक करें। • पंजीकरण पर्ची का प्रिंट आउट लें। • भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण नंबर नोट कर लें। • पंजीकरण पर्ची पर प्रिंट किया गया जी.आई.एस. एजेंसियों का विवरण नोट करें। नोट: पंजीकरण के लिए पीएम-उदय मोबाइल ऐप (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) का प्रयोग किया जा सकता है । कृपया पीएम-उदय मोबाइल ऐप में यूसी लोकेटर सुविधा का प्रयोग करें- यह आपको अंतरिम सूचना देता है कि आपकी संपत्ति अनधिकृत कॉलोनी सीमा के भीतर है या नहीं ।		
	नोट: चरण 2ए से 2डी को एक साथ किया जा सकता है (समानांतर)		
चरण 2ए: आवेदन फॉर्म (पार्ट-1)	• पीएम-उदय पोर्टल में लॉग-इन करने के बाद 'File Application' पर क्लिक करें। • पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। • लॉग-इन के लिए 'File Application' पर क्लिक करें और पार्ट-1 का विवरण भरें। • एप्लीकेशन फॉर्म-पार्ट-1: कॉलोनी विवरण, संपत्ति अनुसूची, संपत्ति विवरण, तल/भवन विवरण, भूमि विवरण,स्वामित्व विवरण, और घोषणापत्र भरें। • पार्ट 1 का विवरण भरने के बाद केस आई डी (Case ID) जेनरेट हो जाएगी जिसे पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर	**चरण 2बी: जीआईएस सर्वेक्षण**	• जी.आई.एस. (GIS) सर्वे करवाने के लिए पंजीकरण पर्ची में सूचीबद्ध किसी जीआईएस एजेंसी से संपर्क करें। • जीआईएस सर्वे करवाने के लिए जीआईएस एजेंसी से अनुरोध करें। • जीआईएस एजेंसी 2-3 दिन में आपके परिसर का निरीक्षण करेगी और आवश्यक माप लेगी। • जीआईएस एजेंसी को निर्धारित

	भी भेजा जाएगा। • पोर्टल से बंध पत्र-I , बंध पत्र II, और वचन पत्र के फार्मेट डाउनलोड करें (लिंक आवेदन पत्र फॉर्म के भाग 2 में दिया हुआ है) नोट: आप एप्लीकेशन के पार्ट-1 को फाइल करने के लिए पीएम-उदय मोबाइल ऐप (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) का प्रयोग कर सकते हैं।		प्रभार/शुल्क का भुगतान करें और भुगतान रसीद प्राप्त करें।
चरण 2सी:* **नोटरीकृत बंधपत्र, और वचन पत्र**	• नोटरी पब्लिक से संपर्क करें। • 3 स्टैम्प पेपर खरीदें, जिनमें से दो 100 रु. के और एक 10 रु. का हो, • आपकी संपत्ति के संबंध में बंध पत्र-I, बंध पत्र II, वचन पत्र, फोर्मेट में डाटा भरें। • 100 रु. के स्टैम्प पेपर पर बंध पत्र और 10/-रु. के स्टैम्प पेपर पर वचन पत्र को प्रिंट करें। • उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। • नोटरी द्वारा नोटरीकृत दस्तावेज प्राप्त करें। **[*टिप्पणी: चरण 2 सी में सूचीबद्ध दस्तावेज आपके आवेदन पत्र को प्रोसेस करने के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, इन दस्तावेजों के बिना भी आवेदन जमा किया जा सकता है।]**	**चरण 2डी: दस्तावेज तैयार करना**	• अपनी संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र करें- ○ जनरल पावर ऑफ अर्टोनी (पूरी श्रृंखला) ○ विक्रय करार पत्र (पूरी श्रृंखला) ○ वसीयतनामा (पूरी श्रृंखला) ○ भुगतान साक्ष्य ○ कब्जा पत्र साक्ष्य ○ बिजली का बिल ○ संपत्ति की फोटो ○ कोरे कागज पर भू-स्वामियों के हस्ताक्षर ○ पैन कार्ड ○ आधार कार्ड • आपकी संपत्ति के संबंध में एक कोरे कागज पर लेन-देन की श्रृंखला की जानकारी तैयार रखें। (आवेदन पत्र के भाग-2 को भरने हेतु आपको इसकी आवश्यकता होगी)

चरण 3: **दस्तावेजों को अपलोड करें**	• अलग पीडीएफ फाइल में सभी दस्तावेजों को स्कैन करें (जो चरण 2सी और 2डी में तैयार किए गए है)। • चरण 2 सी में सूचीबद्ध दस्तावेज, यदि आवेदन पत्र भरने के समय पर नहीं भरे गए हो तो दि.वि.प्रा. द्वारा इस कमी को ऑनलाइन दर्शाया जाएगा और आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भुगतान के एक्टीवेशन से पहले इन दस्तावेजों को अपलोड करें। इन दस्तावेजों को न प्रस्तुत करने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा। • पीएम-उदय पोर्टल पर जाएं; 'File Application' पर क्लिक करें; लॉग इन करें और आवेदन पत्र का भाग 2 भरने के लिए 'Draft' बटन पर क्लिक करें। • उपर्युक्त 'Upload' बटन का उपयोग करते हुए अपेक्षित दस्तावेज और स्कैन किए गए हस्ताक्षर की कॉपी को अपलोड करें। • सम्पत्ति लेन-देन के विवरण की श्रृंखला को भरें। • आवेदन पत्र के भाग-2 को भरने हेतु 'Submit' बटन पर क्लिक करें। टिप्पणी: स्कैनिंग और अपलोडिंग की सेवा लेने हेतु आप अपने आस-पास के किसी भी कॉमन सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
चरण 4: **जी.आई.एस. आईडी अपलोड करें**	• जीआईएस एजेंसी सामान्यतः आपको आपकी संपत्ति की जी.आई.एस. आईडी, एस.एम.एस. करेंगी। • यदि एजेंसी 7 दिन में आपको जीआईएस आईडी उपलब्ध नहीं करवाती है तो, कृपया पंजीकरण पर्ची में दिए गए संपर्क नंबर के द्वारा एजेंसी से संपर्क करें। • पीएम-उदय पोर्टल पर जाएं; 'File Applicaton' बटन पर क्लिक करें; लॉग इन करें और आवेदन पत्र का भाग 3 भरने के लिए 'Draft' बटन पर क्लिक करें। • जीआईएस एजेंसी से प्राप्त जीआईएस आईडी एंटर करें एवं 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
यदि आपने चरण 4 पूर्ण कर लिया है, तो आपका आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत हो गया है। आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति को पीएम-उदय पोर्टल पर लॉग इन कर पता कर सकते हैं। दि.वि.प्रा. अधिकारी आपकी पात्रता की जांच हेतु आपके आवेदन पत्र की पूर्व समीक्षा करेंगें। यदि आप पीएम-उदय विनियमों के अंतर्गत पात्र नहीं पाए जाते हैं, तो इस स्तर पर आपके आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता हैं।	
चरण 5: **दि.वि.प्रा. फील्ड सर्वेक्षण**	• आपको एस.एम.एस. द्वारा एक सूचना प्राप्त होगी जो यह दर्शाएगी कि डीडीए सर्वेक्षण टीम सत्यापन के लिए आपके परिसर का दौरा करेगी। कृपया आप अपने दस्तावेजों के साथ तैयार रहें • आवेदक की संपत्ति का दौरा करने के बाद डीडीए सर्वेक्षण अधिकारी / अधिकारियों द्वारा फील्ड सर्वेक्षण और संबंधित जांच की जाएगी। सर्वेक्षण अधिकारी आपके पड़ोसियों या किसी आर.डब्ल्यू.ए सदस्य, जो संपत्ति पर आपके कब्ज़े की पुष्टि कर सकता है, के बयान भी लेंगे। • दि.वि.प्रा. फील्ड सर्वेक्षण हेतु दि.वि.प्रा. अधिकारियों को किसी भी प्रकार के प्रभार/शुल्क का भुगतान नहीं करना हैं।
चरण 6:	• यदि आपके आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो आपको एक ऑनलाइन डेफिशिएंसी मीमो (डी.एम.) जारी किया जाएगा।

अपने आवेदन में कमियों को सुधारें	• 'डेफिशिएंसी मीमो' के बारे में सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी। • पोर्टल पर लॉग इन करके आप अपने 'डेफिशिएंसी मीमो' में लिखित कमियों को देख सकते हैं। • पोर्टल पर 'डेफिशिएंसी मीमो' भाग पर जायें, और आप अपनी कमियों को देखें। • वहाँ दिए गए स्थान पर 'डेफिशिएंसी मीमो' के संबंध में जवाब ऑनलाइन प्रस्तुत करें। • अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों (यदि कोई हो) को अपलोड करे। • यदि आवेदन-पत्र वापिस लौटाया गया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और संशोधन करने के बाद पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं। • उपरोक्त अनुसार 'डेफिशिएंसी मीमो' का जवाब प्रस्तुत करें।
चरण 7: अंतिम निर्णय की जांच	• दि.वि.प्रा. के अधिकारी आपके आवेदन-पत्र पर अंतिम निर्णय लेंगे और उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। • अंतिम निर्णय की सूचना भी एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। • यदि आपका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाता है तो पोर्टल पर आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार/शुल्क को दर्शाया जाएगा।
चरण 8: प्रभारों का भुगतान	• भुगतान लिंक एक्टीवेशन के संबंध में भुगतान संदर्भ संख्या (Payment Reference Number) को दर्शाने वाली एक सूचना आवेदन-पत्र की अंतिम संवीक्षा करने के बाद एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। • पीएम-उदय पोर्टल को लॉग-ईन करें और "**Make Payment**" बटन पर क्लिक करें। • सही केस आई.डी. के सामने '**Pay Now** ' बटन पर क्लिक करें। • पीएम-उदय के अंतर्गत प्रभार/शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए सही भुगतान संदर्भ संख्या (Payment Reference Number) को दर्ज करें (ऐंटर करें)।
चरण 9: साक्ष्य संबंधी ब्यौरे	• सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन की सूचना एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। • पीएम-उदय पोर्टल को लॉग-इन करें और दो साक्षियों के ब्यौरे प्रविष्ट करने के लिए "**Witness Details**'' बटन पर क्लिक करें।
चरण 10: सीडी/एएस निष्पादन	• साक्षियों के साथ-साथ मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित प्रोसेसिंग केंद्र पर जाए। • कन्वेयन्स डीड (सी.डी.) और ऑथॉरिज़ेशन स्लिप का अंतिम निष्पादन इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा किया जाएगा।
चरण 11: सी.डी./ए.एस. का पंजीकरण	• कृपया स्टांप पेपर जारी करने और अपेक्षित राशि का ई-स्टांप पेपर खरीदने के लिए किसी प्राधिकृत बैंक में जाएं। • डोरिस एप्लीकेशन का प्रयोग करके उप-रजिस्ट्रार के साथ अपनी मुलाकत का समय लें। • अपने सी.डी./ए.एस. के पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेजों सहित उप-रजिस्ट्रार से मिलें।